

निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 16/अपील/19

उदा आ0 गंगाराम जाति लोधा नि0 गुराड़खेड़ा तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार बकानी

(रेस्प0)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बकानी निर्णय दिनांक 25.07.2019

मिसल न0 179/19

उपस्थित:- श्री मोतीलाल लोधा अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

--: निर्णय :-

दिनांक: 30.10.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 25.07.2019 जो मिसल न0 179/19 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम गुराड़खेड़ा की आराजी ख0न0 703/185 रकबा 3.04 बीघा किस्म चरागाह पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 176/-रु0 शास्ती तथा 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलार्थी को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्प0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पटवारी द्वारा तहसीलदार को सम्बोधित कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट की तहसीलदार से प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बकानी द्वारा कब्जा छोड़ने बाबत रिपोर्ट पृथक से भिजवाई गई। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर मिसल न0 132 निर्णय दिनांक 15.10.2018 से बेदखल कर पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अभिभाषक अपीलान्ट की और से पटवारी द्वारा तहसीलदार को सम्बोधित कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट की तहसीलदार से प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होना अंकन किया गया है, तथा तहसीलदार बकानी द्वारा भी कब्जा छोड़ने की रिपोर्ट न्यायालय हाजा में भिजवाई गई है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करे कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेगा और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगा। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

जिला कलक्टर

झालावाड़

झालावाड़